



ईमेल

42

राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड

मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून पिन : 248001

Email: [crc.ddn99@gmail.com](mailto:crc.ddn99@gmail.com), दूरभाष: 0135—2669415, फैक्स : 2669384

पत्राक : ॥२५ / ६-३३/२०२०-२१ से.अधि./ दिनांक ६ मार्च, २०२३.  
सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

**विषय—** भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति हेतु उत्तराखण्ड राज्य द्वारा अन्य पिछ़ड़ा वर्ग के व्यक्तियों को निर्गत अन्य पिछ़ड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के संबंध में।

**महोदय,**

उपरोक्त विषयक अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग—२, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या २९/१७-२/२३-१(०३)/२०२२ कम्न्यूटर नं० १७४४८, दिनांक २३-२-२०२३ (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति हेतु उत्तराखण्ड राज्य के अन्य पिछ़ड़ा वर्ग के व्यक्तियों/आवेदकों को कार्मिक-लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय भारत सरकार के संकल्प संख्या ३६०३३/४/९७-स्था०(आरक्षण) दिनांक २५-७-२००३ के प्रस्तर-१ के अनुसार, राज्य में निर्गत किये जाने वाले अन्य पिछ़ड़ा वर्ग प्रमाण पत्रों में वैधता अवधि के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई है।

अतएव शासन के उपरोक्त पत्र में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

**संलग्नः—यथोपरि।**

भवदीय

(चन्द्रेश कुमार)

आयुक्त एवं सचिव।

**प्रतिलिपि:**—निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- १—सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- २—सचिव, अन्य पिछ़ड़ा वर्ग आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- ३—सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- ४—आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायू मण्डल नैनीताल।
- ५—निदेशक, आई.टी.डी.ए., उत्तराखण्ड, देहरादून।
- ६—निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
- ७—गार्ड. फाईल।

आयुक्त एवं सचिव।

राजस्व परिषद्।

NO

2023

प. ०९ १०१२५ सं।

R No. 1, DV 90005266

संख्या:- 29 / XVII-2/23-01(03) / 2022

प्रेषक,

सुरेश चन्द्र जोशी,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं सचिव,  
राजस्व परिषद्,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग-2

विषय:- भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति हेतु उत्तराखण्ड राज्य द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को निर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-3844/6-8/2022-23 से, अधि. रा. प. दिनांक 31. 10.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति हेतु उत्तराखण्ड राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों/आवेदकों को निर्गत किये जाने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्रों में वैद्यता अवधि अंकित किये जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गई है।

2- इस सम्बन्ध में कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार के संकल्प संख्या-36033/4/97-स्था.(आरक्षण), दिनांक 25.07.2003 के प्रस्तर-01 में निम्नानुसार मंतव्य स्पष्ट किया गया है-

“अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र के दो भाग होते हैं। इस प्रमाण पत्र का पहला भाग यह दर्शाता है कि व्यक्ति अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में सूचीबद्ध किसी समुदाय का है, जिसे प्रमाण पत्र जारी किया गया है और इस प्रमाण पत्र का दूसरा भाग यह दर्शाता है कि व पिछड़ों में सम्पन्न वर्ग (क्रिमीलेयर) का नहीं है। किसी उम्मीदवार के किसी अन्य पिछड़े वर्ग का होने की स्थिति तभी बदल सकती है, जबकि उसका समुदाय, अन्य पिछड़े वर्गों की सूची से बाहर निकाल दिया जाए, किन्तु उसके सम्पन्न वर्ग का होने या नहीं होने की स्थिति किसी भी समय बदल सकती है। इसके मद्देनजर अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र की वैधता की कोई निश्चित अवधि तय कर पाना सम्भव नहीं है।”

अतः उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रस्तर-2 का संज्ञान लेते हुए प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय

Signed by Suresh Chandra

Joshi

Date: 23-02-2023 12:27:23

(सुरेश चन्द्र जोशी)

अपर सचिव।

पुष्टांकन संख्या:- 29 / XVII-2/23-01(03) / 2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(सुरेश चन्द्र जोशी)

अपर सचिव।

सं. 36033/4/97-स्था.(आरक्षण)

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेशन-मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली  
दिनांक : जुलाई 25, 2003

### कार्यालय-ज्ञापन

**विषय:** अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्र की वैधता की अवधि और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के समुदाय तथा उनके सम्पन्न वर्ग के नहीं होने की स्थिति का सत्यापन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निरेश हुआ है कि यह प्रश्न उठा है कि सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन से अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को जारी किए गए प्रमाण-पत्रों की वैधता की अवधि क्या हो। अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्र के दो भाग होते हैं। इस प्रमाण-पत्र का पहला भाग यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में सूचीबद्ध किसी समुदाय का है, जिसे प्रमाण-पत्र जारी किया गया है और इस प्रमाण-पत्र का दूसरा भाग यह दर्शाता है कि वह पिछड़ों में सम्पन्न वर्ग (क्रीमी लेंडर) का नहीं है। किसी उम्मीदवार के किसी अन्य पिछड़े वर्ग का होने की स्थिति तभी बदल सकती है, जबकि उसका समुदाय, अन्य पिछड़े वर्गों की सूची से बाहर निकाल दिया जाए, किन्तु उसके सम्पन्न वर्ग का होने या नहीं होने की स्थिति किसी भी समय बदल सकती है। इसके मद्देनजार, अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्र की वैधता की कोई निश्चित अवधि तय कर पाना संभव नहीं है।

2. अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के रूप में आरक्षण चाहने वाले प्रत्येक उम्मीदवार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के दिनांक 15.11.1993 के कार्यालय-ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था. (एस.सी.टी.) में उल्लिखित किसी प्राधिकारी द्वारा जारी, अपनी 'अन्य पिछड़े वर्ग का होने की स्थिति' और 'सम्पन्न वर्ग का नहीं होने की स्थिति' के बारे में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे। जैसा कि उपर्युक्त पैरा में इंगित किया गया है, उम्मीदवार के किसी 'अन्य पिछड़े वर्ग का होने की स्थिति' और/अथवा उसके 'सम्पन्न वर्ग का नहीं होने की स्थिति', उपर्युक्त प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद बदल सकती है और उसे आरक्षण का अपात्र बना सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के रूप में आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों से, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण - पत्र के अतिरिक्त, निम्नलिखित प्रपत्र में

अधिकारिक उद्घोषणा करवा ली जाए कि आरक्षण प्राप्त करने के अपात्र उम्मीदवार आरक्षण का लाभ लेने का प्रयास नहीं करें :

“मैं ..... पुत्र/पुत्र श्री ..... निवासी ग्राम/कस्बा/  
शहर ..... ज़िला ..... राज्य ..... एतद्वारा यह  
घोषित करता/ करती हूँ कि मैं ..... समुदाय का/की हूँ जो कि कार्मिक और  
प्रशिक्षण-विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय-ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था.  
(एस.सी.टी.) में निहित आदेश के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन से भारत-सरकार द्वारा  
एक पिछड़े वर्ग के रूप में मान्य है। मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मैं दिनांक  
08.09.1993 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम-3 में उल्लिखित  
व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित नहीं हूँ ।”

3. अन्य पिछड़े वर्गों को देय आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले किसी व्यक्ति को  
नियुक्त करने से पहले नियोक्ता प्राधिकारी, उसके द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़े वर्ग के किसी समुदाय  
के प्रमाण-पत्र की सच्चाई और इस तथ्य का भी सत्यापन कर लें कि वह निर्णायक तारीख को  
सम्पन्न वर्ग का/की नहीं है । इस प्रयोजन से निर्णायक तारीख, उन मामलों के सिवाय, अन्य सभी  
मामलों में किसी पद के लिए आवेदनों की प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि मानी जाए, जिनमें  
निर्णायक तारीख अन्यथा तय की गई हो ।

4. इस विभाग के दिनांक 10.05.1995 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/9/95-स्था.  
(एस.सी.टी.) द्वारा यह तय किया गया था कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर  
नियुक्ति की पेशकश में, इस आशय का एक खण्ड जोड़ दिया जाए कि नियुक्ति अनन्तिम है और  
यह उम्मीदवार के अन्य पिछड़े वर्ग का होने की स्थिति का सत्यापन किए जाने और उसके सही  
पाए जाने की शर्त पर है । चूँकि आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों के ऐसे उम्मीदवारों को ही सुलभ है जो  
सम्पन्न वर्ग के नहीं हों, नियुक्ति की पेशकश में जोड़ा जाने वाला उपर्युक्त खण्ड, उम्मीदवार के  
सम्पन्न वर्ग का होने की स्थिति पेर भी ध्यान दिए जाने की दृष्टि से आशोधित किया जाना  
आवश्यक है । अतः यह तय किया गया है कि नियुक्ति की पेशकश में, इस विभाग के दिनांक  
10.05.1995 के कार्यालय-ज्ञापन में निर्धारित खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित आशोधित खण्ड  
शामिल किया जाए :

“नियुक्ति अनन्तिम है और यह उम्मीदवार के अन्य पिछड़े वर्ग के किसी समुदाय का होने के  
प्रमाण-पत्र का समुचित माध्यम से सत्यापन किए जाने पर, सही पाए जाने की शर्त पर है । यदि

उपर्युक्त सत्यापन से यह ज़ाहिर हुआ कि उम्मीदवार का अन्य पिछड़े वर्ग के होने अथवा सम्प्रवर्ग के नहीं होने का दावा झूठा है तो कोई भी कारण बताए बिना उसकी सेवाएँ तुरंत समाप्त कर दी जाएँगी और उसके द्वारा झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के अपराध के कारण, भारतीय दण्ड-संहिता के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी पूर्वाग्रह के बिना उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकेगी।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध है कि वे इस कार्यालय-ज्ञापन में निहित अनुदेश-निदेश, जानकारी और अनुपालन हेतु अपने सभी अधीनस्थ प्राधिकारियों के ध्यान में लां दें।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)

भारत-सरकार के उप सचिव

दूरभाष: 23092797

1. भारत-सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. आर्थिक कार्य-विभाग (बैंकिंग-प्रभाग), नई दिल्ली ।
3. आर्थिक कार्य-विभाग (बीमा-प्रभाग), नई दिल्ली ।
4. लोक-उद्यम-विभाग, नई दिल्ली ।
5. रेल-बोर्ड
6. संघ-लोक-सेवा-आयोग/भारत का उच्चतम -न्यायालय/निर्वाचन-आयोग/लोक-सभा -सचिवालय/राज्य-सभा-सचिवालय/मंत्रिमण्डल-सचिवालय/ केन्द्रीय सतर्कता-आयोग/ राष्ट्रपति -सचिवालय/प्रधान मंत्री-कार्यालय/योजना-आयोग ।
7. कर्मचारी-चयन-आयोग, केन्द्रीय कार्यालय-परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
8. सामाजिक न्याय और अधिकारिता-मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
9. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति-आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली।
10. राष्ट्रीय पिछड़ा-वर्ग-आयोग, त्रिकूट-।, भीकाजी कामा प्लेस, रामाकृष्णपुरम, नई दिल्ली।